AD(Demo)/US
Statistical Officer

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जनवरी, 1995

संख्या सा. का. नि. 5/संवि./अनु. 309/95.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा इत्तर राजपत्रित अधिकारी सांख्यिकीय (ग्रुप-ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग-I—सामान्य

1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा इत्तर राजपत्रित अधिकारी सांख्यिकीय (ग्रुप-ख) सेवा नियम, 1995 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) प्रशासकीय सचिव से अभिप्राय है प्रशासकीय विभाग का सचिव :

(ख) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ;

(ग) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो, सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा म पहले से लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो :

(घ) "सरकार" से अप्रिप्राय है, प्रशानिक विभाग में हरियाणा सरकार :

(ङ) "संस्था" से अभिप्राय है:—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था, या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था।

(च) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा नियमित कोई विश्वविद्यालय, या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणास्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाणा पत्र की दशा में, पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय : या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वद्यिालय घोषित किया गया हो:

(छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा इत्तर राजपत्रित अधिकारी सांख्यिकीय (राज्य सेवा ग्रुप ख) सेवा ।

भाग--II-सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा स्वरूप ।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में दर्शाए गए पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता अधिवास तथा चरित्र ।

4. (i) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो—

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा : या

(ग) भूटान की प्रजा : या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो प्रथम जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका तथा कीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार) जांबिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आयो हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ढ़) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, उसे हरियाणा लोक सेवा आयोग अथवा किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता-प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भान्ति परिचित हों, और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो आयोग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से ठीक पहले की तिथि को 17 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक का हो । आयु ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेंगी । नियुक्ति प्राधिकारी ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट "ख" के खाना 3 में तथा पदोन्नति द्वारा भर्ती की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो : योग्यताएं ।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिए लिखित रूप से कारण दिए जाएंगे ।

8. कोई भी व्यक्ति— अयोग्यताएं ।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर दी है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार इस सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधी के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है

भर्ती का ढंग । 9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,—

(क) सहायक निदेशक (जनांकिकी) की दशा में :—

(i) 50 प्रतिशत सांख्यिकीय अधिकारियों और सांख्यिकीय विदों में से पदोन्नति द्वारा ; और

(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

टिप्पणी :

सहायक निदेशक (जनांकिकी) का पद सांख्यिकीय अधिकारियों तथा सांख्यिकीय विदों के कार्यभारों तथा उत्तरदायित्वों से अधिक महत्व का है ।

(ख) सहायक निदेशक (जन्म-मरण सांख्यिकीय) की दशा में,—

(i) 50 प्रतिशत सांख्यिकीय अधिकारीयों अथवा सांख्यिकीय विदों में से पदोन्नती द्वारा ; और

(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

टिप्पणी :—सहायक निदेशक (जन्म-मरण सांख्यिकीय) का पद सांख्यिकीय अधिकारियों तथा सांख्यिकीय विदों के कर्तव्यभारों तथा उत्तरदायित्वों से अधिक महत्व का है ।

(ग) सांख्यिकीय अधिकारी अथवा सांख्यिकीय विदों की दशा में,—

(i) 50 प्रतिशत मुख्य सहायक (सांख्यिकीय) या कनिष्ठ सांख्यिकीय रोग वैज्ञानिकों में से पदोन्नती द्वारा,

(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्ध न किया गया हो; ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ऐसी पदोन्नतियां के लिए अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा : परिवीक्षा ।

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनी जायेगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने की अनुमति दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाऐंगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवा से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसे उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्ते अनुज्ञात करे;

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी :—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो ;

(ii) ऐसे व्यक्ति को स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो;

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है, या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो–

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है जो उसको पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ।

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिस में बढ़ाई गई सतधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता ।

11. सेवा मे सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी, परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-2 निश्चित की जाएगी :

परन्तु सीधी भर्ती धारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग अथवा कोई अन्य भर्ती प्राधिकरण जैसी भी स्थिति हो द्वारा निश्चित योग्यता क्रम बदला नहीं जाएगा :

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उन की ज्येष्ठता निम्नानुसार निश्चित की जायेगी:—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायगी, जिनसे वे पदोन्नति या स्थानान्तरित किए गए थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहली नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवा काल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व ।

12 (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य मे अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए, दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को निम्नलिखित के अधीन भी सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है:—

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण, राज्य सरकार के पास हो, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथावा विश्वविद्यालय; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा

(iii) किसी अन्न राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय:

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य की उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले ।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाएं या बनाए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएं ।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे ।

परन्तु लगाई जा सकने वाली शास्तियों का स्वरूप ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप–नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट "घ" में विनिर्दिष्ट है ।

टीका लगवाना ।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा करने का निर्देश करें, तो टीका लगवाएगा और पुनः टीका लगवाएगा ।

राजनिष्ठा की शपथ ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा को शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी ।

ढील देने की शक्ति ।

17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध ।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी यदि नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण ।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों को किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन तथा व्यावृति ।

20. इस सेवा को लागू इन नियमों के आरम्भ होने से तुरन्त पूर्व कोई नियम तथा इनमें से किसी नियम के अनुरूप नियम जो लागू हो इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियम के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी ।

परिशिष्ट "क"

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या		जोड़	वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी		
1	2	3	4	5	6
1	सहायक निदेशक (जनांकिकी)	1	—	1	2,000--60--2,300--75--2,900द०रो०--100--3,500
2	सहायक निदेशक (जन्म-मरण सांख्यिकी)	--	1	1	2,000--60--2,300--75--2,9(0--द०रो०--100--3,500
3	सांख्यिकीय अधिकारी	1	--	1	2,000--60--2,300--75--2,900 द० रो०--100--3,500
4	सांख्यिकीय विद	2	1	3	2,000--60--2,300--75--2,900 द०रो०--100 3,500

परिशिष्ट-ख

(देखिए नियम 7)

क्रम सं०	पदनाम	सीधी भर्ती अथवा स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो ।	पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव यदि कोई हो ।
1	2	3	4
1	सहायक निदेशक (जनांकिकी)	कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित गणित जिसमें एक पेपर सांख्यिकीय का हो/सांख्यिकीय/अर्थशास्त्र/संक्रिया अनुसंधान/जनांकिकी में मास्टर डिग्री । अथवा एक विषय के रूप में एक सांख्यिकीय सहित गणित स्नातक और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सांख्यिकी में दो वर्ष का डिप्लोमा । अथवा (क) एक विषय के रूप मे सांख्यिकीय सहित गणित स्नातक और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्वास्थ्य सांख्यिकी में एक वर्ष का डिप्लोमा (ख) जनांकिकी मे पांच वर्ष का अनुभव जिसमें जन्म मरण स्वास्थ्य सांख्यिकी और जनगणना भी शामिल हैं । (ग) मैट्रिकस्तर तक हिन्दी ।	(क) एक विषय के रूप में गणित, या सांख्यिकीय सहित स्नातक, अथवा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर जिसमें एक पेपर सांख्यिकीय का हो । (ख) स्वास्थ्य विभाग में सांख्यिकीय अधिकारी अथवा सांख्यिकीय विद अथवा दोनो के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव ।

1	2	3	4
2	सहायक निदेशक (जन्म-मरण सांख्यिकी)	कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित गणित जिसमें एक पेपर सांख्यिकीय का हो/सांख्यिकीय/अर्थशास्त्र संकर्म अनुसंधान/जनांकिकी में मास्टर डिग्री । अथवा एक विषय के रूप में सांख्यिकी सहित गणित स्नातक और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सांख्यिकी में दो वर्ष का डिप्लोमा । अथवा (क) एक विषय के रूप में सांख्यिकी सहित गणित स्नातक और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्वास्थ्य सांख्यिकी में एक वर्ष का डिप्लोमा । (ख) जनांकिकी में पांच वर्ष का अनुभव जिसमें जन्म-मरण तथा स्वास्थ्य सांख्यिकी और जनगणना भी शामिल है । (ग) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी ।	(क) एक विषय के रूप में गणित या सांख्यिकी सहित स्नातक अथवा एक पेपर के रूप में सांख्यिकी सहित अर्थ-शास्त्र में स्नातकोतर । (ख) स्वास्थ्य विभाग में सांख्यिकीय अधिकारी अथवा सांख्यिकीय विद अथवा दोनों के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव ।
3	सांख्यिकीय अधिकारी	कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित गणित जिसमें एक पेपर सांख्यिकी का हो/सांख्यिकीय/अर्थ शास्त्र संक्रम अनुसंधान/जनांकिकी में मास्टर डिग्री ।	मुख्य सहायक (सांख्यिकी) अथवा कनिष्ट सांख्यिकीय रोग विज्ञानी अथवा दोनों के रूप में कम से कम आठ वर्ष का अनुभव ।

1	2	3	4
		अथवा एक विषय के रूप में सांख्यिकी सहित गणित स्नातक और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सांख्यिकी का दो वर्ष का डिप्लोमा । अथवा (क) एक विषय के रूप में सांख्यिकी सहित गणित स्नातक और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्वास्थ्य संख्यिकी में एक वर्ष का डिप्लोमा । (ख) सामाजिक सर्वेक्षण तथा सामाजिक अनुसंधान में तीन वर्ष का अनुभव । (ग) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी ।	
4	सांख्यिकी विद	कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित गणित जिसमें एक पेपर सांख्यिकीय का हो/सांख्यिकीय/अर्थशास्त्र संक्रम अनुसंधान/जनांकिकी में मास्टर डिग्री । अथवा एक विषय के रूप में सांख्यिकी सहित गणित स्नातक और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सांख्यिकी में दो वर्ष का डिप्लोमा ।	मुख्य सहायक (सांख्यिकी) अथवा कनिष्ट सांख्यिकीय रोग विज्ञानी अथवा दोनों के रूप में कम से कम आठ वर्ष का अनुभव ।

1	2	3	4
		अथवा (क) एक विषय के रूप में सांख्यिकी सहित गणित स्नातक और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्वास्थ्य सांख्यिकी में एक वर्ष का डिप्लोमा । (ख) सामाजिक सर्वेक्षण तथा सामाजिक अनुसंधान में तीन वर्ष का अनुभव । (ग) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी ।	

परिशिष्ट ग

[(देखिए नियम (14) (1)]

क्रम संख्या	पद नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
			छोटी शास्तियां			
1	सहायक निदेशक (जनांकिकी)	सरकार	(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी ;			
2	सहायक निदेशक (जन्म मरण सांख्यिकी)		(ii) परिनिन्दा :			
3	सांख्यिकीय अधिकारी		(iii) पदोन्नति रोकना	प्रशासकीय सचिव	सरकार	—
4	सांख्यिकीय विद		(iv) आदेशों की उपेक्षा या उलंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार			

1	2	3	4	5	6	7
			को या ऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है, या संसद या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ;			
			(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ।			
			बड़ी शास्तियां			
			(vक) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना ;	सरकार	—	—
			(vi) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों			

1	2	3	4	5	6	7
			सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;			
		(vii)	निम्नतर वेतनमान, ग्रेड पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणत: रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगी ;	सरकार		

1	2	3	4	5	6	7
			(viii) अनिवार्य सेवा निवृति ;			
			(ix) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं ;			
			(x) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यता निरर्हता होगी ।			

परिशिष्ट "घ"

[देखिए नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	सहायक निदेशक (जनांकिकी)	(क) पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना ।	सरकार	—
2	सहायक निदेशक (जन्म-मरण सांख्यिकी)			
3	सांख्यिकीय अधिकारी	(ख) सेवा के सदस्य को उसके अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।		
4	सांख्यिकीय विद			

रणबीर सिंह,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 3rd January, 1995

No. G.S.R.5/const./Art. 309/95.—In exercise of the powers conferred by the Proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Health Department Non-Medical Gazetted Officers Statisticals (Group-B) Service, namely :—

PART I-GENERAL

Short title.

1. These rules may be called the Haryana Health Department Non-Medical Gazetted Officers Statistical (Group-B) Service Rules, 1995.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherswise requires,—

(a) "Administrative Secretary" means the Secretary in the Administrative Department;

(b) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;

(c) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an officer already in the service of the Government of India or any State Government;

(d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;

(e) "Institution" means,—

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana ; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;

(f) "recognised university" means,—

(i) any university incorporated by law in India; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before 15 August, 1947, the Panjab, Sind or Dacca University ; or

(iii) any other university which declared by the Government to be recognised university for the purpose of these rules;

(g) "service" means the Haryana Health Department Non-Medical Gazetted Officers Statistical (Grop B) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and Character of posts.

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of Government to make additions to, or reduction in, the number of such posts or to create new posts, with different desigations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service.

4. (I) No person shall be appointed to any post in the service, unless he is,—

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar, Zambia Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a Person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e), shall be a person in whose favour a cerificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by recuriting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment, unless he produces certificate of charactor from the Principal academic officer of the University, College, School or Institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his University, College, School or Institution.

age.

5. No. person shall be appointed to any post in the service who is less than seventeen years or more than thirty-five years of age on or before the last date of submission of application to the Commission.

Appointing authority.

6. Appointment to any post in the Service shall be made by the Government.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment:

Provided that in the case of direct recruitment, the qualificatons regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, backward classes, ex-servicemen and physically handicapped categories possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (I) Recruitment to the service shall be made,—

(a) in the case of Assistant Director (Demography)—

(i) 50% by promotion from amongst Satistical officers and Statisticians ; and

(ii) 50% by direct recruitment ; or

(iii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Govern of India ;

Note :—The post of Assistant Director (Demography) involves the assumption of duties and responsibilities of greater importance than those of Statistical officers and Statisticians.

(b) In the case of Assistant Director (Vital Statistics)—

(i) 50% by promotion from amongst Statistical officers or Statisticians; and

(ii) 50% by direct recruitment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official/officer already in service of any State Government or the Government of India;

Note : The post of Assistant Director (Vital Statistics) involves the assumption of duties and responsibilities of greater importance those of Statistical officers and Statisticians.

(c) In the case of Statistical Officer and Statistician—

1. (i) 50% by promotion from amongst Head Assistants (Statistics) or junior Statistical No-sologists ; and

(ii) 50% by direct recruitment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official/officer already in the service of any State Government or the Government of India.

2. All promotions unless otherwise provided, shall be made on Seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

10. (1) persons appointed to any post in the service shall remain on probation, for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise :

Provided that—

(a) any period after such oppointment, spent on deputation on a correspondig or higher post shall count towards the period of probation ; and

(b) any period of work in equivalent or higher rank prior to appointment to any post in the service may in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be comfirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—

(a) if such person is appointed by direct recruitment dispense with his services ; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment—

(i) revert him to his former posts ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) on the completion of the period of probation of a person the appointing authority may,—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfatorily if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory ,—

(i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, and if appointed otherwise revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of previous appointment permit ; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation including extension if any, shall not exceed three years.

11. Seniority, *inter se* of the members of the service shall be determined by the length of continuous service on any post in the service : Seniority.

Provided that where there are different cadres in service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission or any other recruiting authority, as the case may be, shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a members appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) In the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(d) In the case of membars appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by their length of their service in the appointments; and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do, by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under—

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal Corporation or a local authority or University within the State of Haryana;

(ii) the Central Government or a Company, an association or a body of individuals whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or Controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clauses (ii) or (iii) except with his consent.

Pay, leave, Pension and other matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline penalties and appeals.

14. (1) In the matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such Penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) rules, 1987 and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the service shall get himself vaccinated and re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

16. Every member of service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India to the Constitution of India as by law established.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expendient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. **Power of relaxation.**

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expendient to do so. **Special provisions.**

19. Nothing Contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, backward Classes, Ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time: **Reservations.**

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty percent, at any time.

20. Any rule applicable to the service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of the rules, is hereby repealed: **Repeal and Savings.**

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the Corresponding provisions of these rules.

APPENDIX—A

(*See* Rule—3)

Serial No.	Designation of posts.	Number of posts.		Total	Scale of Pay
		Permanent	Temporary		
1	2	3	4	5	6
1	Assistant Director (Demography)	1	—	1	Rs. 2,000-60-2,300-75-2,900-EB-100-3,500
2	Assistant Director (Vital Statistics)	—	1	1	Rs. 2,000-60-2,300-75-2,900-EB-100-3,500
3	Statistical Officer	1	—	1	Rs. 2,000-60-2,300-75-2,900-EB-100-3,500
4	Statistician	2	1	3	Rs. 2,000-60-2,300-75-2,900-EB-100-3,500

APPENDIX—B

(*See* Rule 7)

Serial No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment or by transfer or deputation.	Academic qualifications and experience, if any, for appointment by promotion.
1	2	3	4
1	Assistant Director (Demography)	Master Degree with atleast 50% marks in Mathematics with Statistics as one of the papers/statistics/ Econometrics/Operations Research/Demography. OR Graduate with Mathematics with Statistics as one of the subjects and two years diploma in statistics from a recognised Institution. OR (a) Graduate with Mathematics with Statistics as one of the subjects and one year diploma in Health Statistics from a recognised Institution. (b) Five years experience in Demography including Vital and Health Statistics and Census. (c) Hindi upto Matric Standard.	(a) Graduate with Mathematics or statistics as one of the subjects OR Post Graduate in Economics with Statistics as one of the papers. (b) Atleast 5 years experience as Statistical Officer. OR Statistician or both in the Health Department.

1	2	3	4
2	Assistant Director (Vital Statistics)	Master degree with atleast 50% marks in Mathematics with Statistics as one of the papers/Statistics/Econometrics/Operations Research/Demography. OR Graduate with Mathematics with Statistics as one of the subjects and two years diploma in Statistics from a recognised Institution. OR (a) Graduate with Mathematics with Statistics as one of the subjects and one year diploma in Health Statistics from a recognised Institution. (b) Five years experience in Demography including Vital and Health Statistics and Census. (c) Hindi upto Matric Standard.	(a) Graduate with Mathematics or Statistics as one of the subjects. OR Post Graduate in Economics with Statistics as one of the papers. (b) Atleast 5 years experience as Statistical Officer. OR Statistician or both in the Health n Departme t.
3	Statistical Officer	Master Degree with atleast 50% marks in Mathematics with Statistics as one of the papers/Statistics/Econometrics/Operations Research/Demography. OR Graduate with Mathematics with statistics as one of the subjects and two years diploma in Statistics from a recongised Institution. OR (a) Graduate with Mathematics with Statistics as one of the subjects and one year diploma in Healh Statistics from a recognised Institution.	Atleast eight years experience as Head Assistant (Statistics) or Junior Statistical Nosologist or both.

1	2	3	4
3	concld.	(b) Three years experience in Social Survey and Social Research. (c) Hindi upto Matric Standard.	
4	Statistician	Master Degree with atleast 50% marks in Mathematics with Statistics as one of the papers/Statistics/ Econometrics/Operations Research/Demography. OR Gradute with Mathematics with Statistics as one of the subjects and two years diploma in Statistics from a recognised Institution. OR (a) Graduate with Mathematics with Statistics as one of the subjects and one year diploma in Health Statistics from a recognised Institution. (b) Three years experience in Social Surveys and Social Research. (c) Hindi upto Matric Standard.	Atleast eight years experience as Head Assistant (Statistics) OR Junior Statistical Nosologist or both.

APPENDIX C

[(*See* Rule 14 (1)]

Serial No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final Appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1.	Assistant Director (Demography).	Government	Minor Penalties (i) Warning with a copy in the personal file (Character roll);	Adminstrative Secretary	Government	—
2.	Assistant Director (Vital Statistics)		(ii) censure;			
3.	Statistical Officer		(iii) withholding of promotion;			
4.	Statistician		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a Company and Association or a body of individuals whether incorporated or			

1	2	3	4	5	6	7
			not, which is whol ly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and			
			(v) withholding of increments of pay without cumulative effect.			
			(2) Major Penalties			
			(vi) Withholding of increments of pay with cumulative effect;			
			(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employees will/earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry o such period, the reduction	Government		

1	2	3	4	5	6	7
			will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay; (viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time seale of pay, grade, post of service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service; (ix) compulsory retirement; (x) removal from service which shall not be a disquali fication for future employment under the Goverument; (x) dismissal from service which shall ordinary be a disqualification for future employment under the Government.			

APPENDIX D

[(*See* Rule 14 (2)]

Serial No	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1	Assistant Director (Demography)	(a) reducing or withholding the amount of ordinary or addiional pension admissible under the rules governing pension ; (b) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation,	Government	
2	Assistant Director (Vital Statistics)			
3	Statistical Officer			
4	Statistician			

RAGHBIR SINGH,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Health Department.

10655 CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.